फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

आशिफ **बनाम** अध्यक्ष नगर निगम भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 80 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
19.9.2022.	प्रार्थी/अपीलान्ट आशिफ पुत्र जमील अहमद द्वारा बृजवासी एण्टर प्राईजेज कुम्हेर गेट चौराहा भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील आयुक्त, नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम, भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही मेयर, नगर निगम, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)	